FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत.....मुकाम.....भरतपुर.....

.....गोपाल सिंह.....बनाम.....बृजमोहन .....

किस्म मुकदमा.....225.....नं0 .....सन्.....2018.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
19.06.2018	अभिभाषक अपीलाण्ट उपस्थित। अभिभाषक अपीलाण्ट ने एक पक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का निवेदन किया। अपीलाण्ट/प्रतिवादी का कथन है कि वह एवं रैस्पो0/वादी परस्पर भाई हैं। विवादित भूमि राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत 2069–72 में उनके पिता मनीराम के नाम दर्ज रिकार्ड है। रैस्पो0/वादी ने अपीलाण्ट/प्रतिवादी के विरूद्ध राज0 काश्तकारी अधिनियम अन्तर्गत धारा 188 का दावा किया है, जो पोषणीय नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दावे में दिनांक 04.06.2018 को, रैस्पो0/वादी के पक्ष में अन्तरिम स्थगन आदेश पारित किया है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अपीलाण्ट के तर्को पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.06.2018 एक अन्तरिम स्थगन आदेश है, जो दिनांक 16.07.2018 तक का है। प्रकरण में, अपीलाण्ट के पास समुचित अवसर था कि वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष, उनके आदेश दिनांक 04.06.2018 के विरूद्ध नजदीक तारीख पेशी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी आपत्ति दर्ज करवाता। इस अवसर का उपयोग किये बिना, अपील में आना परिहार्य है। वादकरण की बहुलता यथा सम्भव टालने योग्य है। अपीलाधीन आदेश एक अन्तरिम आदेश है एवं विधि अनुसार अन्तरिम स्थगन आदेश के विरूद्ध अपील सामान्यतः संधारणीय नहीं है। अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट संधारणीय नहीं होने के कारण ग्राह्यता स्तर पर ही खारिज की जाती है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय को भी निर्देश दिए जाते हैं कि वह उभयपक्ष को सुन कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का विधि अनुरूप अधिकतम एक माह में निस्तारण करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित हों। निर्णय आज दिनांक 19.06.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(अनिल कुमार वार्ष्णेय)** **आर0ए0एस0** **भू प्रबन्ध अधिकारी** **भरतपुर**	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official